

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(म0प्र0 का तकनीकी विश्वविद्यालय)

एयरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर के पास, भोपाल-462033

फोन नं. 0755- 2734913, 2678866, फेक्स नं. 0755- 2742006

वेबसाईट-<http://www.rgpv.ac.in>

अध्याय – 1

निर्देश

राजीव गाँधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में वर्ष 2016-2017 में पाँच वर्षीय इन्टीग्रेटेड पोस्ट ग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय भारत के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित JEE-MAIN-2016 के मेरिट सूची पर आधारित प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन किया गया है। इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित प्रकार से सीटों का आवंटन किया जाएगा (कृपया नियम 2.2.1 एवं 2.2.2 देखें)।

तालिका-1

स.क्र.	विभाग	अनारक्षित	अपिव	एस.सी.	एस.टी.
1.	सिविल	9+1(H)	3	3	4
2.	मेकेनिकल	9+1(H)	3	3	4
3.	इलेक्ट्रीकल	9+1(H)	3	3	4
4.	कम्प्यूटर साईंस एवं इंजीनियरिंग	10	3	2+1(H)	4
5.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यु. इंजी.	10	2	4	4
6.	सूचना प्रौद्योगिकी	10	3	3	3+1(H)
	कुल-	60	17	19	24

H-अर्थात् Physically Handicapped (कृपया नियम 2.2.2)

1.2 प्रवेश की रीति

राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली जेईई (मेन)-2016 की घोषित आलइंडिया रैंक के आधार पर इटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुयेट प्रोग्राम में प्रवेश दिया जायेगा

1.3 पाठ्यक्रम फीस: इस पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस रु. 30,000/- प्रति सेमेस्टर है। इसके अलावा प्रथम सेमेस्टर में अन्य फीस, जो विश्वविद्यालय में वर्तमान में ली जा रही है, देय होगी।

1.4 प्रवेश रद्दीकरण:- इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद रद्दीकरण के पश्चात् फीस वापिस करने के नियम निम्नानुसार है:-

- (i) यदि कोई उम्मीदवार प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व अपना प्रवेश निरस्त कराता है, तो उसकी जमा की गई फीस (ट्यूशन एवं अन्य) का 10% काटकर वापिस की जायेगी।
- (ii) यदि कोई उम्मीदवार जो प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद अपना प्रवेश निरस्त कराता है, तो उसे कोई भी फीस (कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं की जायेगी।

1.5 ब्रॉच अपग्रेडेशन:-

प्रथम वर्ष के पश्चात् इस पाठ्यक्रम में विभिन्न विभागों में सीट खाली होने पर उत्तीर्ण छात्रों के प्रथम वर्ष के परीक्षाफल की मेरिट के आधार पर ब्रॉच अपग्रेडेशन संभव है।

1.6 पाठ्यक्रम :-

पाँच वर्षीय इन्टीग्रेटेड पोस्ट ग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम की अवधारणानुसार सभी उत्तीर्ण छात्रों की पाँचवें वर्ष ही इन्टीग्रेटेड पोस्ट ग्रेज्यूएट की पात्रता होगी।

महत्वपूर्ण:- ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा। यदि सत्यापन के समय पता चलता है कि सफल आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते समय गलत अथवा असत्य जानकारी दी है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, तथा यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार झूठी गलत जानकारी देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो आवेदक को दिया गया प्रवेश विश्वविद्यालय उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा।

1.7 प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

1. जेईई (मेन) 2016 प्रवेश परीक्षा की अंकसूची
(प्रवेश परीक्षा के आधार पर आयोजित काउंसिलिंग के लिये)
1. जन्मतिथि हेतु 10वीं की परीक्षा की अंक सूची
2. अर्हकारी परीक्षा 12वीं की परीक्षा की अंक सूची
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी/वर्ग (यथा मध्यप्रदेश के अनूसूचित जाति (SC)/अनूसूचित जनजाति(ST)/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) के लिये
4. अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र
5. विकलांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
6. अन्य आवश्यक जानकारी जो तत्समय प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया हो।
7. आवेदक का कलर फोटोग्राफ (साईज 3.5 से.मी. × 4.5 से.मी.)

अध्याय—2

प्रवेश नियम—

2.1 परिभाषायें :—

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हों :—

1. सयुक्त प्रवेश परीक्षा." से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अर्थात: 'जेईई (मेन)
2. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है।
3. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है।
4. "सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.)" (Registrar R.G.P.V.)
5. "श्रेणी" से अभिप्रेत है इन चार श्रेणियों में से एक अर्थात अनारक्षित (UR), म.प्र. राज्य की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछडा वर्ग (OBC) (क्रीमिलेयर को छोड़कर) से है।

2.2.1 **सीटों का आरक्षण:—** विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय डयूल डिग्री इन्टीग्रेटेड पोस्ट ग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम, प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश के मूल निवासी मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों के उपलब्ध सीटों में से क्रमशः 16%, 20% तथा 14% प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा। संबंधित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, अभिभावक का शपथ-पत्र (प्रारूप-1) एवं आय प्रमाण-पत्र आवश्यकतानुसार प्रवेश के समय प्रस्तुत करने होंगे। शेष 50% सीटों के लिये मध्यप्रदेश मूल निवासी की पात्रता नहीं होगी।

2.2.2 **विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षण:—**कुल प्रवेश क्षमता की 3% सीटे (प्रत्येक श्रेणी में) विकलांग (Physically Disabled) अभियार्थियों के लिए आरक्षित होगी। 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार ही इस आरक्षण के पात्र होंगे।

इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रवेश के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent Vocational Rehabilitation Centre for Physically handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

2.3 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश परीक्षा पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्यप्रदेश शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्र. एफ 7-2/96/अ.प्र./एक दिनांक 01 अगस्त 1996 देखें)

2.4 मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2013 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को काउंसिलिंग प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्र. एफ-7-2/96/आप्र/एक दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ -7-16/2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000) तथा शासन द्वारा क्रीमिलेयर के संबंध में जारी किए गए नवीन दिशा निर्देश।

2.5 मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें

- 1) जो भारत का नागरिक हो।
- 2) (क) जिसने वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप -4 में)

अथवा

- (ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप -5 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

अथवा

- (ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :-

- (1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारूप-6 में)

अथवा

- (2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो जनवरी 2011 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-7 में)

अथवा

- (3) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-8 में)

स्पष्टीकरण -1 अभिभावक :- किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक /नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न

हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण –2 दत्तक पुत्र/पुत्री : यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र /पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता है तो उसे दत्तक पुत्र /पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय /महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2.6 उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो।

2.7 **शैक्षणिक अर्हता (Educational Qualification):**— पांच वर्षीय ड्यूल डिग्री इन्टीग्रेटेड पोस्ट ग्रेज्यूएट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:—

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा अथवा समकक्ष की परीक्षा प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण कि हो (relaxation of 5% marks for reserved category candidates) इसके अतिरिक्त उपरोक्त परीक्षा में अभ्यर्थी को गणित, भौतिकी तथा रसायन के साथ स्वतंत्र रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

नोट:

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम श्रेणी का बंधन लागू होगा।
2. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र में सम्मिलित हो रहे हैं, विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय ड्यूल डिग्री की प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें प्रवेश के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी।

2.8 **योग्यता क्रम सूचियाँ—**

पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग ब्रांच का आवंटन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षक मण्डल, नई दिल्ली जेईई(मेन) 2016 द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों Common Merit मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

2.9 **समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit):**—

समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) वही मान्य होगी जैसा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा आयोजित जेईई (मेन)2016प्रवेश परीक्षा के नियम अनुसार निर्धारित कर मेरिट सूची प्रदान कि गई हो।

2.10 प्रवेश का क्रम :-

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को सीटों का आवंटन:- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी निम्नलिखित क्रम से सीटों का आवंटन किया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें: - अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति.

आरक्षित श्रेणी के उपरोक्त क्रम अनुसार आवंटन संचालित करने के पश्चात्, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित श्रेणी में संविलीयन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी.

अध्याय-3

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

(देखें नियम 2.2.1)

उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम :

पिता का नाम :

अनुसूचित जाति/जनजाति :
(अनु. का क्रमांक)

धर्म :

व्यवसाय :

पता :

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 / 342 के अंतर्गत जिला (म.प्र.) के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/ की सदस्य हूँ।
2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

प्रारूप-2 (अ)
(देखे नियम 2.3)

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण –पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांकप्रकरण क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी.....पिता / पति
का नाम निवासी ग्राम / नगर.....वि.खं.....
तहसीलजिला.....संभाग.....के
जाति / जनजाति का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के
अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट
किया गया है और यहजाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति
(संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांकपर अंकित
हैं। अतः श्री / श्रीमति / कुमारी.....पिता / पति का नाम
..... अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिक श्री / श्रीमति / कुमारी.....के
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपएहै।

दिनांक.....

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

- टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।
- (2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण- पत्र मान्य होंगे।
(अ) कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ., (अनुविभागीय अधिकारी)
उपसंभागीय मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी,
वृहद / मध्यम / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अविभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप – 2 (ब)

(देखे नियम 2.3)

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभागजिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांकप्रकरण क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....
पिता/पति का नामनिवासी ग्राम/नगर.....
.....संभाग.....केजाति/जनजाति का/ की सदस्य
है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के आधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में
अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह.....
जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश
की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित हैं। अतः श्री/श्रीमति/कुमारी.....
.....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमति/कुमारी.....के
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपएहै।

दिनांक.....
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण –पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

प्रारूप-3 (अ)
(देखे नियम-2.4)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला मध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक ..
..... प्रकरण क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण -पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कुमारी
पुत्र/पुत्री श्री निवासी ग्राम /शहर तहसील
..... जिला मध्यप्रदेश के निवासी है जो जाति
के है जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग की अधिसूचना एफ8-5 क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84 दिनांक 26 दिसंबर 1984
द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री और /या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश
के जिला संभाग में निवास करता है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्रीमीलेयर
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों /वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक
एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क 380/2/22/93 स्था (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा
जारी सूची के कालम -3 में तथा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ.
7-26/93/1-आ.प्र. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूचित के कॉलम
(3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री / श्रीमती /कुमारी के
परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है ।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक को
प्रवजन कर चुका है ।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणित अधिकारी का नाम
पदनाम

प्रारूप-3 (ब)
(देखे नियम 2.4)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित
स्थानों पर प्रवेश के लिये जाने वाले प्रमाण पत्र

अस्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभागजिलामध्यप्रदेश पुस्तक क्रमांक
प्रकरण क्रमांकप्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीपुत्र/पुत्री
श्रीनिवासी ग्राम /शहरतहसीलजिला ..
.....मध्यप्रदेश के निवासी है जोजाति के है जिस पिछडा वर्ग के रूप में
मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक
एफ 8-5 पच्चीस 4-84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है ।

श्रीऔर /या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के
जिलासंभागमें निवास करता है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्रीक्रीमीलेयर (सम्पन्न
वर्ग) व्यक्तियों /वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के परिशिष्ट क्र. 380/2/22/93 स्था (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम
-3 में तथा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1-आ.प्र. दिनांक
8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूचित के कॉलम (3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री / श्रीमती /कुमारीके परिवार
की कुल वार्षिक आय रूपयेहै ।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांकको प्रवजन
कर चुका है ।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणित अधिकारी का नाम
पदनाम

प्रारूप-4
(देखे नियम 2.5)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक:

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री जो राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर
(पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित
छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था (संस्था का नाम) में सत्र
से सत्र तक अध्ययन किया है।

स्थान:-

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनांक:-.....

नाम एवं पद

(कार्यालय सील)

प्रारूप-5
(देखे नियम 2.5 ख)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक:

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....आत्मज/
आत्मजा/पत्नी/श्री जो तहसील..... जिला
मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह -

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है।

अथवा

2. यह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।

अथवा

3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

अथवा

4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा।

स्थान:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

(कार्यालय सील)

टिप्पणी: जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रारूप-6
(देखे नियम 2.5 ग)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक:

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी जो
राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपालद्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)
..... वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में
प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती का/की पुत्र/पुत्री है।

(क) जो विभाग में पद पर
..... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

(ख) जो विभाग में पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के
कर्मचारी थे और जो (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो विभाग में पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के
कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो विभाग में पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में
धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

(कार्यालय सील)

प्रारूप-7
(देखें नियम 2.5 ग)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक:

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री जो राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर
(पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है,
श्री/श्रीमती का/की पुत्र/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2011 अथवा उसके
पूर्व की तिथि से मध्यप्रदेश में स्थित विभाग में
पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान:

कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम एवं पद

(कार्यालय सील)

प्रारूप-8
(देखें नियम 2.5 ग)

मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक:

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री जो राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर
(पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है,
श्री/श्रीमती का/की पुत्र/पुत्री है, जो योजना के
तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/म.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत
पुर्नव्यवस्थापन योजना है।

स्थान:

हस्ताक्षर कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक:

नाम एवं पद

(कार्यालय सील)